



dk; ky;] xkg [ki g vks/ kfxd fodkl i kf/kdj. 1
/ DVj & 7] xMMj/ xkg [ki g & 273212
Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

रजिस्टर्ड / स्पीड पोस्ट

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 S-1/3 से0 13 / 2023-2024 / दिनांक

Jh jkt'sk i fr f=i kBlh i# Jh cky epd/n f=i kBlh
xte&f/kVfg; kll
ikt V&Mcj i kj
ft yk&xkg [ki gA

आवंटन पत्र सं0 5 दिनांक 02/05/2002 के माध्यम से गीडा की शॉपिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या S-1/3 से0 13 के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक 01/07/2023 को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	18.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रू0	61.00
3. भूमि प्रीमियम			रू0	121.00

योग रू0 200.00

इसके अतिरिक्त 01/01/2024 को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	1143.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रू0	6.00
3. भूमि प्रीमियम					रू0	0.00

योग रू0 1149.00

egh; kx : 6 1,349.00

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक 01/07/2023 को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक 01/01/2024 को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को पंजाब नैशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405 में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र" (आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है नोट-यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत (कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा। गीडा का GST No. 09AAALG1185A1ZJ है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

dk: kly:] xkj [ki g vks/ kfxd fodkl i kf/kdj. 1
/ DVj&7] xhMk] xkj [ki g&273212

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **S-1/4** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

MkO uoBng fl Uqk i# Jh I R: Bnz fl Uqk]
egVyk&jke tkudh uxj]
c'kkjri g]
xkj [ki gA

आवंटन पत्र सं0 **6** दिनांक **02/05/2002** के माध्यम से गीडा की शॉपिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/4** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	34128.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	292476.00
3. भूमि प्रीमियम			रु0	87000.00

योग रु0	413604.00
---------	------------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	6255.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	146167.00
3. भूमि प्रीमियम					रु0	0.00

योग रु0	152422.00
---------	------------------

egh: bx : l	566,026.00
-------------	-------------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024**
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405**
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है
नोट-यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा।
गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।

dk: kY:] xkj [ki g vks/ kfxd fodkl i kf/kdj. n
/ DVj&7] xHMK] xkj [ki g&273212

Email- ceogida-up@up.gov.in Website- www.gidagkp.in

पत्रांक / सम्पत्ति / नौ- / भू0सं0 **S-1/2** से0 **13** / **2023-2024** / दिनांक

Jh fo/k HMM.k i# Jh ikl ukfk]
xte o iklV&t;rij]
ftyk&xkj[kigA

आवंटन पत्र सं0 **8** दिनांक **02/11/2002** के माध्यम से गीडा की शॉपिंग योजना के अन्तर्गत आपके पक्ष में
आवंटित भूखण्ड संख्या **S-1/2** से0 **13** के सापेक्ष देय धनराशि जमा किये जाने विषयक इस कार्यालय के पार्श्वकित
पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, आप पर दिनांक **01/07/2023** को निम्नानुसार धनराशि देय हो चुकी है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	0.00
2. ब्याज दिनांक	30/06/2023	तक	रु0	0.00
3. भूमि प्रीमियम			रु0	0.00

योग रु0	0.00
---------	-------------

इसके अतिरिक्त **01/01/2024** को निम्न धनराशि और देय हो रही है, जिसे समय से जमा किया जाना अपेक्षित है।

1. दण्ड ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	1140.00
2. ब्याज दिनांक	01/07/2023	से	31/12/2023	तक	रु0	0.00
3. भूमि प्रीमियम					रु0	0.00

योग रु0	1140.00
---------	----------------

egh: kx : l	1,140.00
-------------	-----------------

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक **01/07/2023** को देय हो चुकी धनराशि एवं दिनांक **01/01/2024**
को देय हो रही धनराशि को निर्धारित देय तिथि तक जमा करने का कष्ट करें।

देय हो चुकी धनराशि को **पंजाब नेशनल बैंक, गीडा, गोरखपुर के खाता संख्या 6332000100000405**
में चालान के माध्यम से जमा करें।

सूच्य है कि देय हो चुकी धनराशि समय से जमा न किये जाने की दशा में बकाया धनराशि की वसूली "वसूली प्रमाण पत्र"
(आर0सी0) के माध्यम से की जा सकती है। उक्त के अतिरिक्त लीजरेन्ट एवं रख-रखाव शुल्क भी देय है
नोट-यदि उपर्युक्त धनराशि के सापेक्ष कोई धनराशि आवंटी द्वारा पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उसकी प्रविष्टि
आवंटी के खाते में नहीं हुआ है तो आवंटी चालान के प्रति के साथ वित्त अनुभाग में सम्पर्क कर चालान की प्रविष्टि
करा लें।

2. पूर्ण धनराशि समय से जमा न करने की दशा में डिफाल्ट धनराशि पर डिफाल्ट अवधि हेतु दण्ड ब्याज 3.00 प्रतिशत
(कम्पाउडिंग करते हुये) ली जायेगी। आवंटी द्वारा सम्पत्ति के सापेक्ष GST, RCM पद्धति द्वारा जमा किया जायेगा।
गीडा का **GST No. 09AAALG1185A1ZJ** है।

प्रबन्धक (प्रशासन/सामान्य)
गीडा गोरखपुर।